आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(3)

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

वाद संख्या Title Appeal 1/2016-17

सुरेश प्रसाद वर्णवाल बनाम संदीप कुमार पोद्दार

आदेश

08.06.2017

18.7.17

प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के Eviction Suit No. 1/15-16 में दिनांक 08/08/16 को पारित आदेश के विरूद्ध सुरेश प्रसाद वर्णवाल द्वारा दायर किया गया है। आवेदनकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों एवं उनके आवेदन को देखा।

संक्षिप्त में वाद यह है कि मौजा जामताड़ा, खाता संख्या–445/69/क, दाग सं0– 2885/क पर स्थित मकान को मकान मालिक प्रणती बनर्जी द्वारा निबंधित केवाला दलील संख्या–45/34 द्वारा कुल 06.00 लाख रूपये में विपक्षी संदीप कुमार पोद्दार को बेचा गया है। जिससे आवेदक को काफी दुःख हुआ है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रणती बनर्जी ने उनसे 4 लाख रूपये में उक्त मकान बेचने का मौखिक एकरारनामा किया था तथा 3 लाख ले भी लिया था। लेकिन अपीलार्थी द्वारा इस संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा इस वाद को विस्तार से सुना गया है तथा अपीलकर्त्ता द्वारा वहॉ भी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही अपील दायर करते समय कोई नया कागजात जमा किया गया है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि उक्त केवाला दलील के विरूद्ध सिविल जज–1 व्यवहार न्यायालय, जामताड़ा के न्यायालय में टाईटल सूट विचाराधीन है। लेकिन टाईटल सूट में भी कोई स्टे या रोक संबंधी कागजात उनके द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

Seen Adv. 20.7.

अतः वाद को Admission के बिंदु पर ही खारिज किया जाता है। तदनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचित करें।

DB/41

18/07/17

उपायुक्त,
जामताड़ा।

लेखापित एवं संशोधित

18/07/17

उपायुक्त,
जामताड़ा।